दिनांक-11फरवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान — स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

गंदगी फैलाने वाले चिकन व्यवसायी पर उड़नदस्ता ने लगाया जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 02 स्मृतिनगर, वार्ड 01 जुनवानी रोड, वार्ड 06, वार्ड 12 कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी, जीई रोड, शांति नगर, सेक्टर 01 सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास का विक्रय करने, बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस व्यवसाय करने तथा बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 10,000 रूपए का अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले व सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों से जुर्माना लेते हुए दोबारा ऐसा न करने समझाइश दी। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने स्मृतिनगर , वार्ड 01 जुनवानी रोड, वार्ड 06, वार्ड 12 कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी, जीई रोड, शांति नगर अंतर्गत किराना दुकान, बाजार, होटल, पान ठेला व नास्ता सेंटर में खाद्य पदार्थो का निरीक्षण करते हुए बाजार में गंदगी फैलाने व सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही की। निगम की उड़नदस्ता टीम ने महादेव किराना स्टोर्स स्मृतिनग के द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक प्लेट विक्रय करते पाए जाने पर जप्त करते हुए 2000 रूपए जुर्माना लिया गया, कुरैशी चिकन सेन्टर जुनवानी रोड के द्वारा क्षेत्र में गंदगी फैलाने पर 500 रूपए जुर्माना, मोहसीन चिकन सेन्टर वार्ड 01 जुनवानी रोड के द्वारा गंदगी फैलाने पर 500 रूपए इसी प्रकार वार्ड 01 जुनवानी रोड स्थित हिन्दूस्तान चिकन शॉप के द्वारा गंदगी फैलाने पर 500 रूपए, फायर ब्रिगेड मैदान के सामने पान ठेला से एक बोरी

जनसम्पर्क अधिकारी